झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–09/2020– 1359 व०प०, राँची, दिनांक– 25/05/2021

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0–A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची–834002

विषय :– लिलो 200 के0भी0 एस0/सी0 टी0टी0पी0एस0 गोविन्दपुर से जैनामोड़ ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल–34.739 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–526 दिनांक–17.07.2020 एवं पत्रांक–319 दिनांक–09.02.2021 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (सभी अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण से उद्‌भूत वन्यप्राणियों के Habitat fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिप्रेक्ष्य में Project cost पर Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

(v) ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि Bottom conductor (sag के साथ) का ground clearance कम से कम 25 फीट हो ताकि वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के आवागमन के समय कोई दुर्घटना न हो।

(vi) प्रस्तावित वनभूमि चूँकि soil erosin के लिए highly vulnerable है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना खर्च पर प्रस्तावित क्षेत्र में soil conservation का कार्य करना बाध्यकारी होगा।

(vii) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
25/05/2021
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

F/2020 – वनभूमि LETTER - 597 (Mukesh)

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- forestjhr@gmail.com

ज्ञापांक–वन भूमि–09 / 2020– 1359 व०प०, राँची, दिनांक– 25/05/2021

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/5/2021

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–वन भूमि–09 / 2020– 1359 व०प०, राँची, दिनांक– 25/05/2021

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/5/2021

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–वन भूमि–09 / 2020– 1359 व०प०, राँची, दिनांक– 25/05/2021

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / विद्युत कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, ट्रांसमिशन डिवीजन, कैम्पस–E5, बिजली कॉलोनी, हीरापुर, धनबाद–826001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/5/2021

विशेष कार्य पदाधिकारी

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 34.739 ha of Forest Land for Construction of Lilo of One Circuit of 220 K.V D/C TTPS-Govindpur Transmission line at GSS Jainamore under Bokaro Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 34.739 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no-1359----- dated-25/05/2021--------------.

Signature: 25/5/2021

Name & Designation: Sunil Kumar

(O.S.D)

Forest, Environment & Climate Change Department,

Jharkhand Ranchi.

विशेष कार्य पदाधिकारी

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड, राँची

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi